कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2024–25/ 5613 दिनांकः– 08/10/2024

निमित्तः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान जयपुर।

विषयः– चोराखेडी से नयागांव बाया महेशपुरा सडक निर्माण के वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1363 दिनांक 29.05.2024 एवं उप वन संरक्षक, बारा का पत्रांक 8207 दिनांक 01.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित से चाही गई रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है

S.N	EDS DATE 29.05.23	REPLY
1.	चौराखेडी से नयागांव वाया देवरी सडक मार्ग उपलब्ध है तो चोराखेडी से नयागांव महेशपुरा के नवीन प्रस्ताव की औचित्य तकनीकी ट्रेफिक डाटा सामाजिक आधार पर यूजर एजेन्सी से लिया जाना प्रस्तावित है।	युजर एजेन्सी के पत्र कमांक 275 दिनांक 12.06.2024 से अवगत कराया गया है कि ऐवरी से चौराखेडी सडक पहले से ही वन चुकि है जिसका प्रत्यावर्तन 2007 में हो चुका है परन्तु यह प्रस्ताव देवरी चौराखेडी सडक से नयागांव वाया महेशपुरा को जोडने का है तथा ये गांव सहरिया पी.वी.टी.जी. बाहुल्य है अतः गांव से आने जाने के लिये सडक को बनाना अति आवश्यक है।
2.	प्रस्ताव मे पार्ट II मे पूर्व उप वन संरक्षक बारां की अभिशंषा संलग्न है। अतः अब उप वन संरक्षक की नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं अभिशंषा के साथ आनलाईन पार्ट II में भर कर संशोधित पार्ट II प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव में उप वन संरक्षक की नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं अभिशंषा के साथ आनलाईन पार्ट II में भर कर संशोधित पार्ट II संलग्न है।
3.	मुख्य वन संरक्षक कोटा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर स्वयं का निरीक्षण रिपोर्ट एवं युजर एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का विशेष कर ग्राम महेशपुरा के सडक से जोडे जाने के संबंध मे करते हुए स्पष्ट अभिशंषा के साथ आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।	निरीक्षण कर लिया गया है एवं पार्ट III EDS पर अपलोड कर दिया गया है।
4.	प्रस्ताव मे इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22.08.2024 की पालना भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।	प्रस्ताव मे इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22.08.2024 की पालना भी संलग्न है।

भवदीय,

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Proposal No.FP/RJ/ROAD/34657/2022/ (1.872H.A.)

PART-III

(To Be filled by the concerned Conservator of Forests)

Name of Project- Construction of chorakhedi nayagaw waya Maheshpura Road, District-baran in state of Rajasthan.**(1.872H.A.)**

Forest area/ Land proposed for diversion :- **1.872 H.A.**
District:- BARAN

Forest Division:- KOTA

1. Whether site,where the forest land involved is located has been inspected by concerned chief conservator of Forest (**Yes**/No)
2. Whether the concerned Chief Conservator of forest agree with the information give in part- Band the recommendations of deputy Conservator of Forest.-**Yes**
3. Specific recommendation of concerned Chief Conservator of forest for acceptance or othervise of the proposal with detailed reason.

The proposal is recommended for acceptance in the public interest. After compliance of penal CA for violation of FCA.

Date:- 08.10.2024
Place:- KOTA

(Ramkaran khairwa)
Chief conservator of forest
Kota

34657

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा

निरीक्षण रिपोर्ट

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल ऑफिसरए एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 1363 दिनांक 29.05.2024 की बिन्दु संख्या 03 में प्रस्तावित सडक चोराखेडी से नयागांव वाया महेशपुरा सडक का मौका निरीक्षण दिनांक 27.06.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उप वन संरक्षक बारां, यूजर ऐजेन्सी के साथ किया गया।

देवरी से चोराखेडी सडक से लगभग नदी से पहले तक पूर्व से ही आने जाने का मुरड एवं खंरजा युक्त सडक मार्ग बना हुआ है। उक्त सडक सघन वन क्षेत्र से नही गुजरती है, प्रस्तावित सम्पर्क सडक स्थल पर किसी प्रकार की पेडों को क्षति नही होगी साथ ही उक्त सम्पर्क सडक का कोई डामरीकृत वैकल्पिक मार्ग नही है। अधोहस्ताक्षरकर्ता उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक 5485 दिनांक 03.05.2024 में की गई निरस्तीकरण की अनुशंषा से सहमत नही है।

अतः उक्त सडक निर्माण की अभिशंषा की जाती है। परन्तु पूर्व में वन क्षेत्र में बनी हुई मुरड/खंरजा सडक मार्ग के संबंध में Violation Report उप वन संरक्षक से प्राप्त किया जाना उचित होगा।

(राम करण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Road
10/7/2024

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है–

1. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल ऑफिसर एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. उप वन संरक्षक बारां।

(राम करण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा